

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अन्जुदेवी

बनाम

राजेश्वर

सम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 330/2021

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

17/06/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती अन्जुदेवी

श्री पवन जी सुवालका

निवासी- चनेरिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम चोंगावडी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 176 मी.

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.8900 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम चोंगावडी (पन्ड. बडेदिघा) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 176 मी.

कुल कीता 1 रकबा 0.89 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 700000 रूपये अक्षरे प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(सचिव सुन्दर किशोर्)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)

